

4597/13 - 13/09/13

17/09/13

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(1) के अन्तर्गत

1. आवेदक का नाम - राजीव कुमार खरे
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है राजीव कुमार खरे (रखो) निवासा - मली नं०-3 प्रेमबिहार कालोनी प्रेमनगर अतना 80320
3. दूरभाष क्रमांक नोटनं०-09827590829
4. आवेदन देने का दिनांक 12/9/13
5. कार्यालय का नाम के. प्रिय लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय शांकर ब्लाक नई दिल्ली 110011
6. चाही गयी जानकारी का विवरण  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मापदंड के अनुसार दिनदिन राज्यों में आपदा राहत बल गाठे हैं तथा म्याम में भी गाठे हैं म-उ. में किसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए म्या प्रबंधन है।  
 राष्ट्रीय आपदा को रोकने हेतु म्या के ड सरका द्वारा राज्यों को प्रतिवर्ष कोई राशि दी जाती है यह है वर्ष 2012-13, 13-14 में क्रमशः 31.00 करोड़ रुपये का प्रथम अंश अपनी राशि एक होती है।
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणाति प्रति/प्रमाणाति नमूना! जानकारी प्रदान की
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस - रुपये 10/ नगद/ स्टाम्प (बी०पी०ए० सूची सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र०- एवं दिनांक पोस्टल आर्डर/ ~~स्टाम्प~~ क्र०- 05F 539804 दि०- 12/9/13
9. क्या आवेदक परीबी रेख के नीचे है अथवा नहीं, हाँ/नहीं यदि हाँ तो बी०पी०ए० सूची का अनुक्रमांक

*(Signature)*  
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर 5/-रुपये स्टाम्प चसपा करते हुए रजिस्टर्ड/यू०पी०सी०/डाक वायु सहित स्वयं का पता लिखा हुआ है लिफाफा संलग्न करें। (बी०पी०ए० सूची के सदस्यों को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक .....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अंतिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक .....
3. सम्बंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी .....

11942  
17/09/13  
22/09/13

IPo No. 05F 539804 7 ₹ 10/-

3820423

आपदाकर्ता के हस्ताक्षर  
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक  
लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)  
परमाण (रखर सी०)  
दिनांक - .....

MHA

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.- II भवन  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली  
दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

श्री राजीव कुमार खरे,  
गली नं.3 प्रेमबिहार कालोनी,  
प्रेमनगर, सतना,  
मध्यप्रदेश-485001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 28.10.13 को प्राप्त अपने दिनांक 12.09.13 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस अनुभाग को हस्तांतरित किया गया है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. आपके आर.टी.आई. पत्र के बिन्दु संख्या 2 के सन्दर्भ में यह कहना है कि इस प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा को रोकने एवं कम करने के लिए कोई भी राशी नहीं दी जाती है। आपदा के रोकथाम एवं कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य प्लान विधि से ऐसे व्यय के वहन हेतु उपाय किये जाने चाहिए। अतः इस संबंध में सूचना शून्य समझी जाये।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,  
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,  
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.- II भवन,  
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

जी घोष

(गौतम घोष)  
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम- II)  
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:-

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (श्री जे.सी.बाबू, अवर सचिव), एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या एन.डी.एम.ए./आर.आर/आर.टी.आई./05/2013/एफटीएस-4956-846 दिनांक 22.10.13)।